**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न सं0 275**

**दिनांक 21 मार्च, 2018**

**कर्नाटक में शहरी गैस वितरण परियोजनाएं**

**\*275. डा॰ प्रभाकर कोरेः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार कर्नाटक राज्य में पाइपलाइन आपूरित गैस (पी॰एन॰जी॰) प्रदान करने के लिए और अधिक मात्रा में शहरी गैस वितरण (सी॰जी॰डी॰) परियोजनाएं आरंभ करने का विचार रखती है;

(ख) वर्तमान में शहरी गैस वितरण संबंधी कितनी परियोजनाएं चालू हैं और शहरी गैस वितरण परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए किन-किन शहरों को चिह्रित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

**(क) से (ग):** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**“कर्नाटक में शहरी गैस वितरण परियोजनाएं” के संबंध में संसद सदस्‍य डा॰ प्रभाकर कोरे द्वारा पूछे गए दिनांक 21 मार्च, 2018 के राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 275 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्‍लिखित विवरण।**

**(क)** **से (ग):**सरकार ने पीएनजीआरबी अधिनियिम, 2006के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की स्‍थापना की है जो गैस पाइपलाइन की उपलब्‍धता और तकनीकी – वाणिज्यिक व्‍यवहार्यता की शर्त पर प्रतिस्‍पर्धात्‍मक बोली प्रक्रिया के जरिए संपीडि़त प्राकृतिक गैस (सीएनजी)/पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) नेटवर्क सहित नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए सांविधिक प्राधिकरण है।

पीएनजीआरबी ने कर्नाटक राज्‍य में संबंधित क्षेत्र में पीएनजी कनेक्‍शन उपलब्‍ध करवाने के लिए निम्‍नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों के विकास हेतु प्राधिकार प्रदान किया था।

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **भौगोलिक क्षेत्र** | **प्राधिकृ‍त कंपनी** | **प्राधिकार प्रदान करने की तारीख** |
| **1.**       | बेंगलुरू ग्रामीण और शहरी | गेल गैस लि. | 18 फरवरी, 2015 |
| **2.**       | टुमकुर | मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर लि. | 14 अगस्‍त, 2015 |
| **3.**       | बेलगांव | मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर लि. | 14 सितंबर, 2015 |
| **4.**       | धारवाड़ | इंडियन ऑयल अडानी गैस प्रा‍इवेट लि. | 14 सितंबर, 2015 |

पीएनजीआरबी ने नगर गैस वितरण (सीजीडी) बोली के 9वें दौर,जिसमें कर्नाटक राज्‍य के 8 जिलों को कवर करते हुए 6 भौगोलिक क्षेत्र  शामिल हैं, में नगर गैस नेटवर्कों के विकास हेतु देश के 174 जिलों को कवर करते हुए 86 नए भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज़) की पहचान की है:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **भौगोलिक क्षेत्रों के नाम (जीए)** | **जिलों के नाम** |
| **1.**        | चित्रदुर्गा और देवानगेरे जिले | चित्रदुर्गा, देवानगेरे |
| **2.**        | उडुपी जिला | उडुपी |
| **3.**        | बल्‍लारी और गडग जिले | बल्‍लारी (बेल्‍लारी), गडग |
| **4.**        | बिदार जिला | बिदार |
| **5.**        | दक्षिण कन्‍नड़ (मंगलुरू) जिले | दक्षिण कन्‍नड़ (मंगलुरू) |
| **6.**        | रामनगर जिला | रामनगर |

इसके अलावा, कर्नाटक सहित पूरे देश में पीएनजी नेटवर्क को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने निम्‍न‍लिखित कदम उठाए हैं:-

1. घरेलू गैस, जो आयातित गैस की तुलना में सस्‍ती होती  है, को नगर गैस वितरण (सीजीडी) क्षेत्र की पीएनजी (घरेलू) और सीएनजी (परिवहन) क्षेत्रों की समग्र आवश्‍यकता को पूरा करने के लिए आबंटित किया गया है और इसे कोई कटौती नहीं की श्रेणी में रखा गया है।
2. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) द्वारा सीजीडी परियोजनाओं को सार्वजनिक उपयोगिता का दर्जा दिया गया है।
3. रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने अपने आवासीय क्षेत्रों/यूनिट लाइनों में पीएनजी के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
4. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसईज) के लिए दिशा निर्देश जारी किया है कि वे अपने संबंधित आवासीय परिसरों में पीएनजी का प्रावधान करें।
5. आवास और शहरी मामले मंत्रालय (एमओएचयूए) ने निम्‍नलिखित पहलुओं पर राज्‍य सरकारों को सलाह जारी की है: (क) स्‍थानीय परिस्‍थितियों के अनुसार समयबद्ध अनुमति के साथ-साथ सड़क बहाली/अनुमति प्रभारों को मानकीकृत बनाना। (ख) कस्‍बे/नगर की योजना बनाने के चरण में ही सीएनजी केन्‍द्रों को विकसित करने के लिए भूखंडों को चिह्नित करना और संशोधित मास्‍टर प्‍लान में इनको विनिर्दिष्‍ट किया जाना चाहिए। (ग) वास्‍तुशिल्‍प  को डिजाइन करते समय ही आवासीय और वाणिज्‍यिक भवनों में गैस पाइपलाइन की सुविधाएं उपलब्‍ध कराने के लिए भवन संबंधी उप नियमों में उचित आशोधन।
6. इसके अलावा, एमओयूएचए ने केन्‍द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्‍ल्‍यूडी) और नेशनल बिल्‍डिंग कंस्‍ट्रक्‍शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) को सभी सरकारी आवासीय परिसरों में पीएनजी का प्रावधान करने का निर्देश दिया है।
7. वित्त वर्ष 2017-18 में 3400 करोड़ रुपए के पूंजी व्‍यय की योजना बनाई गई है जिसकी तुलना में वर्ष 2017-18 की पहली तीन तिमाहियों में 1308 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2018-19 में नियोजित पूंजी व्‍यय को 4130 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की योजना है।
8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) नगर गैस नेटवर्क परियोजनाओं का विकास करने के लिए बोलियां आमंत्रित करने हेतु वर्तमान विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा कर रहा है।
9. पीएनजीआरबी ने नगर गैस नेटवर्कों का विकास करने के लिए 86 नए भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान की है।

\*\*\*\*\*